प्रारूप-5

संख्या-577/III-2/05-08(प्रा.आ.)/05 (14)

प्रेषक,
टी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 29 मार्च, 2006

विषयः- वित्तीय वर्ष 2005-06 में 232(दो सौ बत्तीस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 232 कार्यों की लागत रु0 12255.16 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी 232 कार्यों पर रूपये 11585.35 लाख (रूपये एक सौ पन्द्रह करोड़ पिचासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न के कालम-5 के विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु0 2.32 लाख (रु0 दो लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य कर ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री का प्रयोग में लाया जाये।

10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शा0सं0-452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उसके क्रम में निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

शासनादेश संख्या– 572/ III(2)/06–08(प्रा.आ.)/06 दिनांक 28मार्च,2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष2005–06 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	नैनीताल में रानीबाग–भवाली मोटर मार्ग के किमी0 5 से 31 में पैराफिट, रिटेनिंग वाल, डेलीनेटर इत्यादि	—	51.00	51.00	0.01
2.	हल्द्वानी में ग्राम हिम्मतपुर मल्ला के आंतरिक मार्ग	3.00	42.60	42.60	0.01
3.	बागेश्वर में कज्यूलीताल, कौसानी से ग्राम सीमा लतौलिया तक मोटर मार्ग निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.01
4.	पौडी में फूलचट्टी से कोटा तक मोटर मार्ग	9.00	222.25	219.40	0.01
5.	रायपुर–खादर–शंझावाला–किन्दूवाला– नेहरूग्राम मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार	6.00	111.64	109.00	0.01
6.	मरटखाल–पुल्यासू–उतिण्डा मोटर मार्ग को 2 किमी0 एल.वी.आर को मोटर मार्ग में विस्तार (द्वारीखाल)	7.00	172.50	172.50	0.01
7.	पीपलचौरा–कोलागाड मोटर मार्ग का विस्तार (जयहरीखाल)	5.00	69.50	69.50	0.01
8.	अल्मोड़ा घाट मोटर मार्ग चितई पन्त तिराहे से (हरी दत्त पेटशाली इंटर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग	8.00	290.36	200.16	0.01
9.	नैनीताल में लोवर शेर का डांडा क्षेत्र में कपूर लॉज तक पंहुच मार्ग निर्माण		6.32	5.85	0.01
10.	स्व0 अमरनाथ वांगा (मॉडल कालोनी में) सी.सी. मार्ग निर्माण	0.150	3.82	3.75	0.01
11.	अल्मोड़ा में धौलादेवी वि0ख0 के अन्तर्गत कुशैल बैण्ड से तोली–झिंगोली मार्ग का निर्माण	5.00	122.75	89.00	0.01
12.	पौडी के अन्तर्गत सातखाल–बांसी मोटर मार्ग	1.00	13.90	13.90	0.01
13.	पदोखा–बलगंगा में झूलापुल	90मी0	87.30	87.30	0.01
14.	घिलगना के अन्तर्गत हैडी बैण्ड से रोग–कफोलगांव मोटर मार्ग	5.00	65.20	65.20	0.01
15.	चकरेड़ा हल्का वाहन लिंक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन	3.25	17.55	17.55	0.01
16.	जनपद पौड़ी में पौडी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डोभ, श्रीकोट–आगणाखाल, हुलाकीखाल मोटर मार्ग	13.00	223.50	166.50	0.01
17.	जनपद पौड़ी में ढाबखाल, अन्दरसौं जोप मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं विस्तारीकरण	4.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]

फोटो प्रति सत्यापित

सत्यापित प्रति

सहायक अभियन्ता.